यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा के माह 04/2011 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.02.2019 से 28.02.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज चिरंगू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री विनीत निगम सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2011 से 04.06.2011 तक संपादित की गयी थी, जिसमे माह अवधि 11/2006 से 03/2011 तक श्री डी.पी. सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2011 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा का मुख्य कार्यकलाप शिक्षा के स्तरउन्नयन के लिए समय समय पर शिक्षको प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(आ) इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त अल्मोड़ा जिला है।

(अ) विगत लेखा परीक्षा से बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत /अभ्यर्पण**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2011-12	229.35	11.75	229.36	11.75	00	00
2012-13	237.36	29.38	237.36	29.38	00	00
2013-14	233.31	8.7	233.31	8.7	00	00
2014-15	253.23	8.7	253.23	8.7	00	00
2015-16	267.00	0.88	239.45	0.88	27.55	00
2016-17	291.29	31.07	264.84	31.07	26.44	00

2017-18	285.21	2.62	272.00	2.36	13.20	0.26
2018-19 जनवरी 2019 तक)	323.99	50.13	240.65	47.79	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विगत लेखा परीक्षा से प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रू° लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**विविध प्राप्तिया**	**कुल प्राप्तिया**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2011-12	शिक्षक शिक्षा	17.07	11.75	00	28.82	9.68	--	19.14
2012-13		19.14	32.81	00	51.95	42.04	--	9.91
2013-14		9.91	53.84	00	63.75	46.49	--	17.26
2014-15		17.26	30.41	00	47.68	37.98	--	8.7
2015-16		8.7	7.0	00	15.7	14.11	--	1.5
2016-17		1.5	11.91	00	13.49	12.49	--	1.0
2017-18		1.0	21.08	00	22.09	20.84	--	1.2
2018-19		1.2	19.52	00	20.76	--	--	--

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) इकाई की श्रेणी "सी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-अकादमिक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), 4-अपरनिदेशक सीमेट, 5- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह

08/2014, 07/2013, 01/2017 व 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- शिक्षण शुल्क रु. 26,25,000/- को इकाई स्तर पर लंबित रखकर राजकोष में विलम्ब से जमा करना।

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार विभाग को प्राप्त राजस्व/प्राप्ति को अविलम्ब राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

इकाई के D.L.D. प्रशिक्षुओं के शुल्क संबंधी रोकड़ बही एवं पास बुक की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक 35000/- प्रति की दर से कुल शिक्षण शुल्क की धनराशि रु. 26,25,000/- को इकाई स्तर पर लंबित रखा गया। बैकं खातें में धनराशि को दिनांक 17.06.2016 को जमा किया गया तथा 05.01.2018 को बैंक खाते से आहरण कर राजकोष में जमा किया गया।

इस प्रकार धनराशि रु. 25,25,000/- को इकाई में कैश चेस्ट न होने के बावजूद भी रखा जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा कि SCRET से दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण धनराशि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा दो वर्ष तक दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे जो कि विभागीय उदासीनता का परिचायक है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
35/2011-12	शून्य	1,2	शून्य

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
35/2011-12	अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी की संस्तुति के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवेदन प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** अल्मोड़ा द्वारा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. शून्य

3- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्रीमति सुषमा सिंह	प्राचार्य	13.08.2012 से 03.08.2012
2-	जी.एस. नेगी	प्राचार्य	04.08.2012 से 17.08.2012
3-	आर.एस. आर्य	प्राचार्य	18.08.2012 से 18.08.2014
4-	दिनेश चन्द्र सती	प्राचार्य	19.08.2012 से 03.08.2015
5-	डा° राजेंद्र सिंह	प्राचार्य	04.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित की गयी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.